Copy of B.O.No. 75/4-II A-359 dated November 1962

From,

Sachiv,
Rajawa Parished (bhumi Vyavastha),
Uttar Pradesh Section - 4
Lucknow

To,

All District Officers in Uttar Pradesh,
(Execpt Almora, Garhwal, Tehri Garhwal,
Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi)

No. 75 (i) 4-IIA-359, dated November 14, 1962

Subject : Recognition of Uttar Pradesh Lekhpal Sangh.

Sir,

I am directed to say the Government have been pleased to accord official recognition to the Uttar Pradesh Lekhpal Sangh on the conditions laid down in rule 4 to 6 of the Appointment Notification No. 4108/HB-162-59, dated September 21, 1962.

I am to add that member of the Sangh are likely to apply for special casual leave in order to attend duly consituted meeting of the sangh. I am to request that casual leave may please be sanctioned to the members of the Sangh to enable to attend the meeting in the light of para 9 of appendix to the M.G.Os.

Your's Faithfully
Sd/- (K.B. Pradhan)
Deputy Land Reforms commissioner (G)
for Sachiv
G. D. Srivastava

।। विधान ।।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

1. **नाम** : इस संस्थान का नाम उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ होगा।

2. **उद्देश्य**
   (1) नियुक्ति विभाग विज्ञप्ति संख्या 4108/11/बी॰ 162-59 दिनांक 21 सितम्बर 1961 वर्णित उद्देश्य तथा नियमों का पालन करना।
   (2) लेखपालों को जनता का सच्चा सेवक और सरकार का विश्वास पात्र बनना और उनमें राष्ट्रीय एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न करना।
   (3) लेखपालों में एकता तथा प्रेम की वृद्धि एवं संगठित करना तथा अधिकारी वर्ग के साथ सम्मानपूर्ण सच्चे सम्बन्ध रखना।
   (4) लेखपालों की आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक एवं राजकीय सेवा सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की उन्नति के लिए प्रयास करना तथा नैतिक स्तर उच्च बनाना।
   (5) लेखपालों के समस्त दुःख, कष्ट और कर्तव्य पालन में उत्पन्न समस्त कठिनाइयों को दूर करना।
   (6) भारतीय संविधान के अन्तर्गत लेखपालों के सामूहिक हितों तथा अधिकारों की रक्षा के प्रयत्न करना।
   (7) लेखपालों की उपयोगिता सेवा भाव को बढ़ाना और सहयोगिता का प्रोत्साहन देना।
   (8) उन समस्त कार्यों को करना जिनसे लेखपालों का मान हो, सराहना हो और इस संस्था के सदस्यों में आत्म सम्मान पैदा हो।
   (9) संघ न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न अपनी ओर से ऐसा कार्य करने देगा जिससे कि सरकार द्वारा संघों के पथ प्रदर्शन के लिए दिये गये आदेशों का पूर्णतः या अंशतः उल्लंघन हो।

3. **प्रधान कार्यालय** : इस संस्था का प्रधान कार्यालय महामंत्री की सुविधा के स्थान पर होगा जिसकी सूचना महामंत्री के निर्वाचन के पश्चात उसी समय अथवा एक सप्ताह तक दे दी जावेगी।

4. जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल है, इस संस्था को 100/- रू॰ वार्षिक सदस्यता शुल्क देने पर सदस्य बन सकता है।

5. **साधारण सभा** : इस संघ की साधारण सभा का निर्माण निम्न प्रकार होगा :-
   संविधान संशोधन समिति के प्रस्ताव संख्या-3 के क्रम में आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 22.02.97 ।
   अ. भूतपूर्व निर्वाचित प्रान्तीय पदाधिकारी जो उ॰ प्र॰ लेखपाल संघ के प्रति सक्रिय हैं तथा लेखपाल पद पर कार्यरत हैं।
   ब. प्रत्येक जिले से निर्वाचित अध्यक्ष एवं मंत्री।
   स. प्रत्येक तहसील से निर्वाचित अध्यक्ष एवं मंत्री।
   द. निवर्तमान प्रान्तीय पदाधिकारी।

(तहसील संघ)

साधारण सभा : अ. जो व्यक्ति बतौर लेखपाल सरकारी सेवा में हो और नियमानुसार को 100/- रू॰ वार्षिक चन्दा देकर

संघ का सदस्य हो चुका हो वह साधारण सभा का सदस्य होगा।

ब. तहसील उपशाखा की साधारण सभा का निर्माण (पूर्ववत) तहसील के सभी कार्यरत लेखपालों से होगा।

कार्यकारिणी : तहसील संघ के समस्त पदाधिकारी जिनकी संख्या धारा 8 के अनुसार होगी तथा प्रत्येक राजस्व निरीक्षक सर्किल से निर्वाचित दो-दो प्रतिनिधियों से कार्यकारिणी का गठन होगा।

(जिला संघ)

साधारण सभा : अ. जिला की साधारण सभा का निम्नवत् निर्माण होगा :

जनपद में सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल कार्यरत है व उ० प्र० लेखपाल संघ का निर्धारित वार्षिक शुल्क निरन्तर अदा दिया है, से मिलकर जिले की साधारण सभा का निर्माण होगा।

देखें :- आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

ब. साधारण सभा का कोरम 25 प्रतिशत कम से कम पर होगा।

स्पष्टीकरण : मासिक शुल्क अदायगी अनिवार्य होगी। जिला के निर्वाचन के समय तहसील उप शाखाओं की पूर्ण बेवाकी तथा तहसील के निर्वाचन के समय लेखपाल वार बेवाकी आवश्यक होगी।

कार्यकारणी : जिला संघ के समस्त पदाधिकारी जिनकी संख्या धारा 8 के अनुसार होगी। कार्यकारिणी के सदस्य होंगे तथा राजस्व निरीक्षक सर्किल से निर्वाचित एक-एक प्रतिनिधि से कार्यकारिणी का गठन होगा।

द. साधारण सभा का कोरम सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का 1/4 होगा।

6. सम्बधः तहसील संघ प्राप्त सदस्यता शुल्क का आधा अपने पास रखेगा। आधा भाग जिला संघ के पास देगा। जिला संघ एकत्रित सम्पूर्ण सदस्यता शुल्क में से 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को भेजकर सम्बन्ध स्थापित रखेगा।

देखें - आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

7. कोष : लेखपाल संघ का कोई भी धन बिना रसीद के प्राप्त नहीं किया जावेगा और कोषाध्यक्ष के रजिस्टर में जमा किये बिना कोई धन व्यय नहीं किया जा सकेगा। कोषाध्यक्ष के पास अधिक से अधिक 100/- रू० जमा रह सकेंगे इससे अधिक धन सेविंग बैंक या संघ द्वारा स्वीकृत अन्य किसी बैंक में जमा किया जावेगा। महामंत्री अग्रिम धन सभा के कार्य संचालन हेतु 1000/- रू० तक रख सकता है। तहसील मंत्री 200/- रू० तथा जिला मंत्री 500/- रु० रख सकता है।

देखें :- संशोधन समिति के प्रस्ताव सं० 4 (III) आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 22.02.97 ।

8. पदाधिकारी : नियम 5 के अनुसार साधारण सभा से निम्नलिखित पदाधिकारी बहुमत से निर्वाचित होंगे।

1. **प्रान्तीय :** अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष (तीन) स. महामंत्री द. मन्त्री (एक या अधिक) मण्डलवार मण्डलीय मंत्री य. संगठन मन्त्री (तीन) र. कोषाध्यक्ष ल. आय-व्यय निरीक्षक (आडीटर) एक या अधिक

स्पष्टीकरण : मण्डलीय मंत्री का मनोनयन का पूर्ण अधिकार प्रान्तीय अध्यक्ष व महामंत्री को होगा।

देखें :- आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

2. **जिला व तहसील :** अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष (एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ) स. मंत्री
द. उप मंत्री य. कोषाध्यक्ष र. आय-व्यय लेखा निरीक्षक।

नोट : 1. आय-व्यय लेखा निरीक्षक कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं होंगे।

2. लेखपालों के अलावा और व्यक्ति पदाधिकारी न होगा।

9. **प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति का निर्माण :**

1. साधारण सभा से निर्वाचित पदाधिकारी से।
2. प्रत्येक जिले के जिला मंत्री/संयोजक से। कोरम एक चौथाई होगा।

10. **अनुमानित आय-व्यय का बजट :**

साधारण सभा में लेखपाल संघ का अनुमानित आय-व्यय निश्चित किया जायेगा कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी उसी के अनुसार व्यय करेंगे।

नोट : यदि कार्यकारिणी समिति साधारण सभा की स्वीकृति से बाहर व्यय करना आवश्यक समझे तो अपने दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति की आशा पर व्यय कर सकती है किन्तु वर्ष में एक बार।

11. **अधिवेशन :** अ. वार्षिक अधिवेशन।

ब. विशेष अधिवेशन।

1. वार्षिक अधिवेशन कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित दिनांक व स्थान पर होगा।
2. विशेष अधिवेशन इन दशाओं में बुलाया जावेगा -

अ. साधारण सभा के एक चौथाई सदस्यों की मांग पर।

ब. कार्य समिति की स्वीकृति पर एवं प्रान्तीय सरकार को पूर्व सूचना देकर।

12. **अधिकार व कर्तव्य :**

कार्यकारिण समिति संघ के समस्त प्रबन्ध की उत्तरदायी होगी जिसमें कोष का सुरक्षित रखना भी होगा। हर तीसरे मास कार्यकारिणी की बैठक गम्भीर विषयों पर विचारार्थ होगी।

13. **अध्यक्ष के कर्तव्य :**

बैठकों में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना और समस्त कार्यवाही नियमानुकूल कराना और यह भी देखना कि संघ का कार्य नियमानुसार चल रहा है या नहीं तथा प्रत्येक सभा की कार्यवाही अनुशासन से चलाना। प्रान्तीय नियमावली में लिखे उद्देश्यों के अनुसार नीति निर्धारित कराना और उसका पालन कराना।

14. **उपाध्यक्ष के कर्तव्य :**

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन करना।

15. **महामंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :**

1. संघ के कार्यों के लिए महामंत्री उत्तरदायी होगा, कार्य समिति के लिए निश्चित आदेशों के अनुसार कार्य करना तथा दिये हुए उद्दश्यो की पूर्ति जो कि नियमावली में हैं, संचालन करना।
2. समस्त अधिवेशनों के बुलाने का उत्तरदायी महामंत्री होगा।

3. समस्त तहसील संघ, जिला संघ से सम्पर्क स्थापित करना और उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वार्षिक रिपोर्ट एवं अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना।
5. प्राप्त धन को कोषाध्यक्ष के पास भेजना। आय-व्यय का हिसाब तैयार तथा जांच करके अध्यक्ष के समक्ष रखना। समस्त वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारियों के द्वारा कर्तव्यों का पालन करना।

16. **मंत्री के कर्तव्य :**

महामंत्री की अनुपस्थिति में महामंत्री के समस्त कर्तव्यों का पालन करना तथा उसकी उपस्थिति में उनकी सहायता करना।

17. **कोषाध्यक्ष के कर्तव्य :**

1. कोषाध्यक्ष समस्त धन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. प्राप्त धन की रसीद देना, दैनिक आय-व्यय का हिसाब महामंत्री को भेजना।
3. संघ के रूपयों को सेविंग बैंक द्वारा स्वीकृत बैंक में सुरक्षित रखना।

18. **अविश्वास का प्रस्ताव :**

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के लिए किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्य समिति का एक सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसका निर्णय सर्वप्रथम होने वाली कार्य समिति की बैठक में होगा। यदि उपस्थित दो तिहाई सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करें तो वह पदाधिकारी अपने पद से हटा दिया जायेगा। कार्यकारिणी समिति बहुमत से किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव एक बार रद्द होने पर उस पदाधिकारी के विरूद्ध 6 माह तक पुनः नहीं उठाया जा सकता है।

19. **अनुशासन की कार्यवाही :**

किसी भी सदस्य के विरूद्ध संघ के नियम व उप नियम के उल्लंघन भ्रष्टाचार अथवा संस्था को बदनाम करने वाली किसी भी लिखित शिकायत के आने पर महामंत्री अथवा अध्यक्ष द्वारा उस मामले की जांच कराई जावेगी। आरोप सिद्ध होने पर उस सदस्य को जिसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, सदस्यता से निलम्वित अथवा वंचित किया जा सकता है और राज्य सरकार को उसके विरूद्ध कार्यवाही के हेतु सिफारिश की जा सकती है। संस्था का कोई भी पदाधिकारी 6 माह तक अनवरत् प्रोन्नति पद पर कार्यरत् रहने की दशा में स्वमेव पदच्युत समझा जावेगा तथा लेखपाल सेवा निवृत्त होने की तिथि तक ही पदाधिकारी रहेगा।

20. **विधान एवं उप नियमों का संशोधन :**

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के विधान एवं उप नियमों में संशोधन आवश्यकतानुसार साधारण सभ के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा जिसकी सूचना प्रादेशिक सरकार को स्वीकृति हेतु दी जावेगी।

21. **धारा – 21 :**

संस्था आम सभा द्वारा पदाधिकारियों के चुनाव का कार्यकाल 3 वर्ष होगा (प्रस्ताव सं०-2, दिनांक 29 जनवरी, 1971 शासन घोषणा संख्या 2054 दिनांक 18-02-71)।

हस्ताक्षर अपठित

31.10.63

उत्तर प्रदेश सरकार